न्यायालय उपायुक्त, पाकुड़

पी0 ए0 अपील वाद सं0–03/2019–20
(सम्मिलित पी0ए0 अपील वाद सं0–02/2019–20)
कालीदास टुडू
बनाम
16 आना रैयत मौजा सिमलदही एवं अन्य

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
1	2	3
05.10.2022	**आदेश** यह अपीलवाद अपीलकर्त्ता कालीदास टुडू, पिता–स्व0 छोटो टुडू, सा0–सिमलदही, थाना– महेशपुर, जिला–पाकुड़ के द्वारा विज्ञ अनुमंडल पदाधिकारी, पाकुड़ के न्यायालय के पी0ए0 वाद सं0–10/2014–15 (साथ में पी0ए0 वाद सं0–11/2014–15, 14/2014–15, 21/2018–19 एवं 29/2018–19 संलग्न) में दिनांक 29.08.2019 को पारित आदेश के विरूद्ध 1. 16 आना रैयत मौजा सिमलदही, 2. जोवानास सोरेन, पति–सुनील टुडू, सा0–सिमलदही, थाना–महेशपुर, एवं 3. लीलु मुर्मू, पिता–स्व0 लुबीन मुर्मू, सा0–सिमलदही, थाना–महेशपुर, जिला–पाकुड़ को पक्षकार बनाते हुए दाखिल किया गया है। निम्न न्यायालय के द्वारा पारित उक्त आदेश दिनांक 29.08.2019 के विरूद्ध ही लीलु मुर्मू, पिता–स्व0 लोबिन मुर्मू सा0–सिमलदही के द्वारा इस न्यायालय में एक आवेदन दाखिल किया गया। दाखिल आवेदन पर पी0ए0 अपील वाद सं0–02/2019–20 संस्थित किया गया। एक ही मामले से संबंधित होने के कारण उक्त वाद को इस वाद के साथ संलग्न कर सुनवाई की गई। मामला संक्षेप में यह है कि मौजा– सिमलदही के ग्राम प्रधान पद पर नियुक्ति हेतु तीन आवेदकों, सुनील टुडू, पिता–स्व0 सोम टुडू, शिवधन टुडू, पिता–सोम टुडू, एवं लीलु मूर्मू पिता–स्व0, लोबिन मुर्मू के द्वारा निम्न न्यायालय में आवेदन दाखिल किया गया। निम्न न्यायालय द्वारा पी0ए0 सं0–10/2014–15 में दिनांक 18.08.2015 को पारित आदेश द्वारा आवेदक लीलु मुर्मू को उक्त मौजा–का ग्राम प्रधान नियुक्त किया गया। निम्न न्यायालय द्वारा पारित उक्त आदेश के विरूद्ध सुनील टुडू, पिता–स्व0 सोम टुडू के द्वारा इस न्यायालय में रिविजन दाखिल किया गया, जिसे आर0एम0आर0 वाद सं0–04/2015–16 के रूप में पंजीकृत करते हुए सुनवाई की गई। आर0एम0आर0 वाद सं0–04/2015–16 में दिनांक 03.10.2018 को पारित आदेश द्वारा निम्न न्यायालय के आदेश दिनांक 18.08.2018 को निरस्त	

Scanned with CamScanner

आदेश की कम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
1	2	3

(Set-aside) कर दिया गया एवं इस आदेश के साथ Remand किया गया कि " वे ठाकुर हेम्ब्रम बनाम बिहार राज्य एवं अन्य में माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश जो 1980 BLJ 448: 1980 BLJ 212(DB) में reported है, के अनुसार SPT (Supplementary Provision) Act 1949 की धारा 6 के अन्तर्गत अंतिम नियुक्त प्रधान के योग्य उत्तराधिकारी की नियुक्ति वर्णित मौजा के प्रधान के पद पर 16 आना रैयतों की सामान्य स्वीकार्यता (General Acceptability) के आधार पर तीन माह के अन्दर करना सुनिश्चित करें। यदि अन्तिम प्रधान के कोई उत्तराधिकारी इस पद के लिए योग्य नहीं पाये जाते हैं तो SPT (Supplementary Provision) Act 1949 की धारा 5 के अन्तर्गत मौजा के प्रधान की नियुक्ति SPT (Supplimentry) Rules 1950 के नियम 3 एवं अनुसूची V के प्रावधानों का अक्षरशः पालन करते हुए तीन माह के अन्दर करना सुनिश्चित करेंगे।"

Remand पर प्राप्त होने पर निम्न न्यायालय में पुनः सुनवाई की गई। सुनवाई के कम में दो अन्य आवेदकों प्रथम कालीदास टुडू, पिता–स्व0 छोटो टुडू के द्वारा आवेदन दिया गया जिसे पी0ए0 वाद सं0–21/2018–19 पंजीकृत किया गया एवं द्वितीय जोवानास सोरेन, पति–सुनील टुडू के द्वारा धारा 6 के तहत आवेदन दिया गया जिसे पी0ए0 वाद सं0–29/2018–19 पंजीकृत किया गया। उक्त दोनों वादों को मूल पी0ए0 वाद सं0–10/20114–15 के साथ संलग्न किया गया। सुनवाई के पश्चात दिनांक 29.08.2019 को पारित आदेश द्वारा आवेदिका जोवानास सोरेन को धारा 6 के तहत योग्य पाते हुए प्रश्नगत मौजा का ग्राम प्रधान नियुक्त किया गय।

यह अपील वाद निम्न न्यायालय द्वारा दिनांक 29.08.2019 को पारित इसी आदेश के विरूद्ध दाखिल किया गया है।

संबंधित सभी पक्षकारों का सुना गया। उत्तरवादी सं0–02 जोवानास सोरेन एवं 03 लीलु मुर्मू के द्वारा लिखित अभिकथन दाखिल किया गया है।

अपीलकर्त्ता कालीदास टुडू का कहना है कि प्रश्नगत मौजा प्रधानी है तथा उसके अन्तिम नियुक्त ग्राम प्रधान सोम टुडू थे। अंतिम नियुक्त प्रधान के पुत्रों सुनील टुडू एवं शिवधन टुडू को न्यायालय द्वारा अयोग्य ठहराया गया है। आवेदक अंतिम नियुक्त ग्राम प्रधान के भतीजा है एवं इस आधार पर योग्य उत्तराधिकारी है।

उत्तरवादी सं0–03 का कहना है कि प्रश्नगत मौजा के खतियानी प्रधान बीरसिंह

Scanned with CamScanner

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
1	2	3

मुर्मू थे।

उत्तरवादी सं0–03 बीरसिंह मुर्मू के वंशज (परपौत्र) एवं उत्तराधिकारी हैं। निम्न न्यायालय द्वारा बिल्कुल गलत तरीके से उत्तरवादी सं0–02 को वंशानुगत आधार पर ग्राम प्रधान नियुक्त किया गया। उत्तरवादी सं0–02 अंतिम प्रधान स्व0 सोम टुडू की पुत्रवधु हैं। पुत्रवधु वंशानुगत आधार पर केवल पुत्र एवं घरजमाई रीति से विवाहित पुत्री ही उत्तराधिकारी हो सकती है।

उनका आगे कहना है कि तत्कालीन उपायुक्त, पाकुड़ द्वारा आर0एम0आर0 04/2015–16 में पारित आदेश के विरूद्ध आयुक्त, संथाल परगना प्रमंडल, दुमका के न्यायालय में रिविजन दाखिल किया गया है जो आर0एम0ए0 403/2018–19 के रूप में पंजीकृत है एवं उक्त वाद को एडमिट किया गया है एवं विपक्षियों को नोटिस भी निर्गत किया गया है। पूर्व में इस न्यायालय में आवेदन दाखिल कर आयुक्त महोदय के न्यायालय आर0एम0ए0 403/2018–19 के निष्पादन तक इस वाद की कार्यवाही स्थगित रखने का अनुरोध किया गया है परन्तु इस पर कोई निर्णय नहीं पारित किया गया।

उनका आगे कहना है कि अपीलार्थी का दावा गलत है। उनके द्वारा अपील स्तर पर वंशावली दाखिल किया गया है जो नियम विरूद्ध है। उनके दावे को स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

उनके द्वारा इस वाद की सुनवाई माननीय आयुक्त, संथाल परगना प्रमंडल, दुमका के न्यायालय के आर0एम0ए0 403/2018–19 के निष्पादन तक स्थगित रखने का अनुरोध किया गया।

उत्तरवादी सं0–02 जोवानास सोरेन का कहना है कि वो अन्तिम नियुक्त ग्राम प्रधान के पुत्रवधु है एवं इस आधार पर वो उनकी वैध उत्तराधिकारी है।

निम्न न्यायालय द्वारा सर्वप्रथम धारा 6 के तहत अंतिम प्रधान के वैध उत्तराधिकारी को ग्राम प्रधान पद पर नियुक्त किया जाना चाहिए था।

प्रश्नगत मौजा के खतियानी प्रधान बीरसिंह मुर्मू थे, जिन्हें पी0डी0 वाद सं0–A-49/1930-31 में दिनांक 30.09.1931 को पारित आदेश द्वारा बर्खास्त कर दिया गया था। उत्तरवादी सं0–03 उक्त बर्खास्त प्रधान बीरसिंह मुर्मू के परपौत्र है। SPT Act 1949 में निहित प्रावधान के अनुसार बर्खास्त प्रधान के उत्तराधिकारी प्रधान पद पर दावा करने का अधिकार

Scanned with CamScanner

आदेश की कम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
1	2	3

नहीं रख सकते है। इस आधार पर उत्तरवादी सं0– 03 का दावा ही नहीं बनता है। जहां तक प्रश्न माननीय आयुक्त, संथाल परगना प्रमंडल, दुमका के न्यायालय में दायर रिविजन आवेदन का है तो वहां उनका आवेदन एडमिट ही नहीं हुआ है तथा कोई स्थगन आदेश पारित नहीं है। उनका आगे कहना है कि अपीलकर्त्ता कालीदास टुडू वंशानुगत आधार पर दावा नहीं कर सकते क्योंकि उनके पिता कभी ग्राम पन्नधान पर नियुक्त नहीं हुए थे। निम्न न्यायालय द्वारा अंचल अधिकारी, महेशपुर के प्रतिवेदन के आधार पर उत्तरवादी सं0–02 को वंशानुगत के आधार पर ग्राम प्रधान नियुक्त किया गया है। निम्न न्यायालय का आदेश बिल्कुल सही है। उनके द्वारा माननीय आयुक्त, भागलपुर प्रमंडल के आर0एम0ए0 04/1978–79 में दिनांक 06.08.1979 को पारित आदेश की प्रति दाखिल करते हुए कहना गया कि जब विधवा महिला को ग्राम प्रधान नियुक्त किया जा सकता है तो विवाहित महिला को क्यों नहीं नियुक्त किया जा सकता है।

उनके द्वारा निम्न न्यायालय के आदेश को बरकरार रखते हुए अपील आवेदन को अस्वीकृत करने का अनुरोध किया गया।

सम्पूर्ण अभिलेख का अवलोकन एवं अध्ययन किया गया। इस तथ्य से सभी पक्षकार सहमत हैं कि प्रश्नगत मौजा–सिमलदही के खतियानी प्रधान बीरसिंह मुर्मू थे तथा अंतिम नियुक्त ग्राम प्रधान स्व0 सोम टुडू थे। अपीलकर्त्ता कालीदास टुडू स्वयं को अंतिम प्रधान का भतीजा होने का दावा कर रहे हैं। उत्तरवादी सं0–02 जोवानास सोरेन स्वयं को अंतिम नियुक्त ग्राम प्रधान की पुत्रवधु होने का दावा कर रही है तथा उत्तरवादी सं0– 03 स्वयं को खतियानी प्रधान का वंशज (परपौत्र) होने का दावा कर रहे है।

इस न्यायालय के आर0एम0आर0 वाद सं0–04/2015–16 में दिनांक 03.10.2018 को पारित आदेश द्वारा उक्त मौजा में सर्वप्रथम Section-6 के तहत प्रधान की नियुक्ति का आदेश दिया गया था।

निम्न न्यायालय द्वारा उत्तरवादी सं0–02 को वंशानुगत आधार पर प्रधान नियुक्त किया गया माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित कई न्याय निर्णयों से यह स्पष्ट किया गया है कि वंशानुगत आधार पर पुत्र अथवा पुत्री जिनकी शादी घरजमाई रीति से हुई है को धारा–6 के तहत ग्राम प्रधान नियुक्त किया जा सकता है।

" Smt. Devimai Murmu Vrs State of Jharkhand and others 2009 (4) JCR

Scanned with CamScanner

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
1	2	3

699 (Jhr): 2010 (2) JLJR 542 में दिया गया Observation निम्नवत है –

"As per the Gantzer's report, published in the year 1936, the Santhal law of succession is patriarchal. The father has absolute control over the family property so long he is alive. The santhal customary law of inheritance does not recognize the female to succeed over the family property. " the female has no claim in the property the daughter cannot succeed over the property of deceased unless she in married in the "GharJamai Form." A Ghar Jamai daughter for all tenets and purposes gets the reflection of the son. The santhal law of inheritance accepts the "Ghar Jamai" daughter to succeed only to continue the family line. If the Ghar Jamai daughter dies issueless, the property of the deceased will not devolve on the Ghar Jamai or son in law. The son in law is joint owner with the wife and his son. In absence of these two, he has no claim in the property."

पुत्रवधु होने की हैसियत से उत्तरवादी सं0–02 का वंशानुगत आधार पर दावा उचित प्रतीत नहीं होता है।

वंशानुगत आधार पर उत्तराधिकारी पुत्र, घरजमाई व्याहता पुत्री, पौत्र, घरजमाई व्याहता पौत्री आदि हो सकती है। ये direct line के वंशानुगत उत्तराधिकारी है।

निम्न न्यायालय द्वारा इस संदर्भ में तथ्यों की उचित विवेचना नहीं करते हुए आदेश पारित किया गया जो कानून की नजर में त्रुटिपूर्ण है।

जहां तक प्रश्न उत्तरवादी सं0–03 का है तो इस संदर्भ में उत्तरवादी सं0–02 के द्वारा दाखिल कागजातों से ज्ञात होता है कि खतियानी प्रधान बीरसिंह मुर्मू को प्रधान के पद से बर्खास्त कर दिया गया था। SPT Rules 1950 के अनुसार बर्खास्त प्रधान के वंशज/उत्तराधिकारी प्रधान पद पर दावा नहीं कर सकते है। उनका दावा समाप्त हो जाता है। उत्तरवादी सं0–03 बर्खास्त प्रधान बीरसिंह मुर्मू के वंशज (परपौत्र) है। अतः प्रधान पद पर वे दावा नहीं कर सकते है। माननीय आयुक्त न्यायालय में आर0एम0ए0 403/2018–19 के एडमिट होने का दावा किया गया है परन्तु अभिलेख में एक भी ऐसा कागजात /दस्तावेज उपलब्ध नहीं है जिससे यह ज्ञात हो सके कि उक्त वाद एडमिट हो गया है एवं उक्त वाद में कोई स्थगन आदेश पारित है। उनके द्वारा इस वाद में दाखिल उस आवेदन को जिसमें उनके द्वारा माननीय आयुक्त न्यायालय में मामला निष्पादित होने तक इस वाद की कार्यवाही को

Scanned with CamScanner

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
1	2	3

स्थगित रखने का अनुरोध किया गया है, अस्वीकृत किया जाता है।

अपीलार्थी कालीदास टुडू अंचल अधिकारी के जांच प्रतिवेदनानुसार अन्तिम प्रधान स्व0 सोम टुडू के चचेरे भतीजा है। वे भी direct line के उत्तराधिकारी नहीं है।

उपर्युक्त विवेचना के आधार पर निम्न न्यायालय द्वारा दिनांक 29.08.2019 को पारित आदेश को निरस्त किया जाता है। यह वाद इस आदेश के साथ Remand किया जाता है कि इस न्यायालय के आर0एम0आर0 वाद सं0–04/2015–16 में दिनांक 03.10.2018 को पारित आदेश का अनुपालन करते हुए मामले का निष्पादन दो माह के अन्दर करना सुनिश्चित करेंगे।

उभय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता को आदेश का अवलोकन करा दें।

लेखापित एवं संशोधित।

उपायुक्त,
पाकुड़।

उ पा युक्त,
पाकुड़।

Digitally signed by VARUN RANJAN
Date: 2023.01.06 17:05:38 +05:30
Location: 192.168.1.100

Scanned with CamScanner